

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्त्व

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, घड़ी चौक के पास, सिविल लाइन
रायपुर-492001, छत्तीसगढ़

फैक्स: 0771-2234731, दूरभाष: 0771-2537404, ई-मेल: deptt.culture@gmail.com,
Web: www.cgculture.in, Facebook: cgculture.deptt@gmail.com, Twitter: @culture_deptt

// पुराने वाहन के निवर्तन हेतु तृतीय निविदा सूचना //

क्रमांक 1544/सं.पु./भंडार/2019

रायपुर, दिनांक 24/7/2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्त्व, रायपुर के अंतर्गत पुराने वाहन को जिस स्थिति में जहां खड़ा है, वहीं से निवर्तन हेतु मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्रमांक	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	वाहन वर्तमान में जहां खड़ी है	निवर्तन का प्रकार
01.	सी.जी. 02/3019	टाटा सूमो	2006	कार्यालय संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्त्व, रायपुर (छत्तीसगढ़)	मुहर बंद निविदा

उक्त वाहन को दिनांक 20/8/19 को अपरान्ह 04.00 बजे मुहरबंद निविदा द्वारा निवर्तन किया जावेगा निविदा की मुख्य शर्त :-

1. वाहन के निविदा फार्म रु. 200/- (रु. दो सौ) मात्र नगद पर संस्कृति एवं पुरातत्त्व कार्यालय के कैश शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय से जारी निविदा फार्म में ही निविदा जारी होगा।
2. निविदा के साथ अमानत के रूप में रु. 5000/- का किसी अधिसूचित बैंक का ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
3. निविदा लिफाफा के ऊपर वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक लिखना अनिवार्य है।
4. वाहन का विक्रय उच्चतम सफल निविदाकारों को किया जायेगा, किन्तु बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
5. इच्छुक निविदाकारों से यह अपेक्षा की जाती है, कि निविदा भरने से पहले वाहन को देखकर उसकी स्थिति से संतुष्ट होने पर निविदा प्रस्तुत करें। निविदा के बाद वाहन के स्थिति संबंधी किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
6. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के 05 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा कर, सहित जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि तक राशि जमा न करने पर अमानत की राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
7. सम्पूर्ण राशि का भुगतान होने के पश्चात् वाहन जिस स्थिति में जहां खड़ी है, वहीं से प्राप्त करना होगा।
8. सफल निविदाकार से यह अपेक्षा की जाती है, कि सम्पूर्ण राशि पटाने के पश्चात् वाहन को तत्काल संरक्षण में लेवे अन्यथा किसी प्रकार की टूट-फूट अथवा नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
9. किसी भी प्रकार का वाद रायपुर न्यायालय के विचाराधीन होगा।

प्रभारी अधिकारी (भंडार)
संस्कृति एवं पुरातत्त्व